भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3493

सोमवार 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

बाल श्रम

3493. श्री लल्लू सिंह:
श्री पल्लब लोचन दास:
श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध के बावजूद, देश के कई हिस्सों में यह अभी विद्यमान और वृद्धि पर है;
(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए कई पहलें की हैं और यदि हां, तो चल रही पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) बाल दुर्व्यापार को रोकने के लिए और बच्चों को बाल-श्रम से बचाने के लिए बनाए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;
(घ) बाल श्रम के पंजीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या इस संबंध में सरकार का एक विधान बनाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार को समाप्त करने के लिए क्या नीतिगत पहलें की गई हैं/कार्य योजना बनाई गई हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है।

सरकार ने बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो दिनांक 01.09.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजन पर पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों एवं पक्रियाओं में नियोजन पर निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन अधिनियम में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

बाल श्रम अधिनियम में संशोधनों के माध्यम से विधायी ढ़ांचे को सशक्त करने के बाद, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 भी बनाएं हैं जिनमें अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और जिला प्राधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख है। सरकार ने प्रशिक्षकों, प्रैक्टिशनरों तथा प्रवर्तन एवं अनुवीक्षण एजेन्सियों के लिए रेडी रैकनर के रूप में मानक प्रचालन कार्यप्रक्रिया भी तैयार की है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से बचाया/छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

योजना का नियमित रूप से अनुवीक्षण और मूल्यांकन अध्यक्ष, सोसायटी के परियोजना निदेशक, जिला नोडल अधिकारी, श्रमायुक्त तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से एनसीएलपी को सफल बनाने के लिए पेन्सिल (बाल श्रम मुक्त के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार(रों), जिला(लों), सभी परियोजना सोसायटियों तथा जनसाधारण से जोड़ता है।

*****